मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 05–21/2019/अ–तेहत्तर भोपाल, दिनांक : 15 /06/2020

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय म.प्र.
भोपाल

विषयः–मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भः–उद्योग संचालनालय म.प्र. का पत्र क्रमांक 36/विसहा/(2)/2017/420,दिनांक 09.06.2020

———

राज्य शासन द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 05–21/2019/अ–तेहत्तर, दिनांक 23.10.2019 से जारी मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 में उद्योग विकास अनुदान अंतर्गत निर्यातक इकाईयों को प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त विकास अनुदान के संबंध में मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 की कंडिका क्रमांक 12.3 के अंतर्गत निम्न अनुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

क्रमांक	मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 की कंडिका	स्पष्टीकरण
1	कंडिका 7.1.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने के लिये 2% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु) या औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 50% से अधिक निर्यात करने के लिये 3% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु)	किसी इकाई, जिसे उद्योग विकास अनुदान स्वीकृत किया गया है, के द्वारा यदि उद्योग विकास अनुदान की सहायता अवधि में, जिस वर्ष निर्धारित मात्रा में निर्यात किया जाता है, तो उसे उस वर्ष की वार्षिक किश्त (प्लांट एवं मशीनरी और भवन में निवेश का 10%) के साथ–साथ 2% या 3% अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान देय होगा। इस प्रकार यदि कोई सामान्य श्रेणी के स्वामित्व वाली इकाई उद्योग विकास अनुदान की सहायता अवधि (वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 4 वर्ष) में प्रतिवर्ष निर्धारित मात्रा में निर्यात करती है तो वह अधिकतम 52% तक उद्योग विकास अनुदान प्राप्त कर सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पर्वत सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

.....2

क्रमांक एफ 05–21/2019/अ–तेहत्तर भोपाल, दिनांक : 15 /06/2020

प्रतिलिपिः–

सहायक संचालक उद्योग, (सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष) उद्योग संचालनालय म.प्र. विभागीय वेव–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग